न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय
कक्ष संख्या 2, देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या–61/2021
अपराध सं0–415/2020
सरकार बनाम माण्डो मुण्डा
धारा–4/25 आर्म्स एक्ट
थाना–रामपुर कारखाना, जनपद–देवरिया।

10.03.2021

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त माण्डो मुण्डा पुत्र सीमा मुण्डा न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आये। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त विरूद्ध **धारा–4/25** आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–20.03.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–10.03.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–2,
देवरिया।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय
कक्ष संख्या 2, देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या–61 / 2021
अपराध सं0–415 / 2020
सरकार बनाम माण्डो मुण्डा
धारा–4 / 25 आर्म्स एक्ट
थाना–रामपुर कारखाना, जनपद–देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय) कक्ष संख्या–2, देवरिया, आप अभियुक्त– **माण्डो मुण्डा पुत्र सीमा मुण्डा** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1–यह कि दिनांक–07.11.2020, को समय 10:45 बजे थाना–रामपुर कारखाना जिला–देवरिया के अन्तर्गत वहद स्थान ग्राम–मंझरिया, मुबारक के बगीचा में आप अभियुक्त माण्डो मुण्डा की निशानदेही पर झाड़ियों के नीचे छिपाये गये एक अदद लोहे के फल वाला अवैध चाकू पुलिस द्वारा बरामद किया गया जिसके रखने के सम्बंध में आपके पास कोई कागजात नहीं था। आपका उक्त कृत्य **धारा–4 / 25 आर्म्स एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एततद्वारा आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–10.03.2021

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग किया।

दिनांक–10.03.2021

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।